आमजन के स्वास्थ्य के लिये प्रधानमंत्री की पहल पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कर रहा है प्रकृति परीक्षण

कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने अपना प्रकृति परीक्षण कर किया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आहवान पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने अपना प्रकृति परीक्षण करवा कर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया।

आयुर्वेद संस्थान
NAL INSTITUTE OF AYURVEDA

कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी की प्रेरणा से आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में प्रकृति परीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम देश का प्रकृति परीक्षण है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे संस्थान में सभी चिकित्सकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। सभी देशवासी अपना प्रकृति परीक्षण करवा कर अपनी प्रकृति को जाने जिससे हमें जानकारी होगी कि हमें कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है, हम किस तरह की चिकित्सा ले सकते हैं या किन-किन बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं।

यह प्रकृति परीक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है साथ ही हमारी चिकित्सा और देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। देश में जो बीमारियां बढ़ रही है उनको हम समय पर कम करने का प्रयास कर सके। क्रिया शरीर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. छाजू राम यादव ने बताया की हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन से ही हम स्वस्थ रहते हैं और इनके कारण होने वाली बीमारियों से हम सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग-अलग होती है जिसके कारण उनमें वात, पित्त ओर कफ के संतुलन नही होने के कारण कई रोग होते हैं। प्रकृति परीक्षण में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से तैयार मोबाइल एप्प पर आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा उनसे शारीरक ओर जीवन शैली से संबंधित जानकारी लेकर उनकी प्रकृति के विषय में जानकारी दी जाती है। जिससे उन्हें समय-समय पर आयुष मंत्रालय द्वारा जानकारी मिलती रहेगी है कि उन्हें अपने भोजन में ऋतु के अनुसार क्या क्या बदलाव करने के साथ ही जीवन शैली की आदतों में भी क्या-क्या सुधार करना है जिससे की वह स्वस्थ रह सके और होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सके।

माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा रोगियों और उनके परिजनों के साथ जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में भी आमजन का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। शरीर क्रिया विभाग में कार्यरत डॉ भानु प्रताप सिंह सहायक आचार्य को इस अभियान के लिये संस्थान में नोडल अधिकारी बनाया गया है।

संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। भारतीय रेलवे ने आज पूरे देश में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच करके यात्री संरक्षा की दिशा में एक और कदम उठाया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन संरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से रेल संरक्षा में सुधार करना है। रेलवे बोर्ड के सदस्य परिचालन और व्यवसाय विकास श्री रविंदर गोयल ने आज सभी मंडल रेल प्रबंधक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ,प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक और भारतीय रेल के सभी मंडलों के अधिकारियों की उपस्थिति में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया। इस एप्लीकेशन को 2013 बैच के आईआरटीएस अधिकारी श्री दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है, जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। इस अवसर पर नागपुर मंडल की डीआरएम श्रीमती नमिता त्रिपाठी ने नागपुर मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के बारे में बात की और बताया कि यह किस तरह से मंडल में सुरक्षा बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ है। अब रेलवे ने सभी जोनल रेलवे में इस एप को लांच करने का निर्णय लिया है, जिसमें 16 मंडलों को शुरू में रोलआउट के लिए चुना गया है। यह एप्लीकेशन भारतीय रेलवे के विषय संबंधी ज्ञान को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और भविष्य में आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के संभावित लाभ के साथ एकीकृत करता है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमान, प्रभावी और स्केलेबल प्रणाली प्रदान की जा सके। इसमें स्मार्ट लर्निंग और फीडबैक मैकेनिज्म की सुविधा है जो बहु-स्तरीय, वास्तविक समय फीडबैक और निगरानी को संभव बनाता है।

हनुमान सहाय अपने पिता की स्वर्गीय बुद्धाराम कुल्हरी 9 वीं पुण्यतिथि पर एक पिकअप चार की गौशाला में भिजवाई

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 28 नवम्बर (का.सं.)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत रलावता के निवासी हनुमान प्रसाद कुल्हरी अपने पिता स्वर्गीय बुद्धा राम कुलहरी की 9 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक पिकप का चारा की गाड़ी भरी हुई 135 मण चारा श्री वीर तेजाजी गौशाला में रलावता की गौशाला में डलवाया । इस मौके पर हनुमान प्रसाद कुल्हरी , दीपाराम ऐचरा गोद राम जाखड़ , सरपंच साहब गौशाला का ग्वालिया व प्रहलाद कुल्हरी गाड़ी चालक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर हनुमान सहाय ने लगातार अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर चार की गाड़ी गौशाला में बिजवाते आ रहे हैं इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने भी संकल्प लिया है पुण्यतिथि जैसा कार्यक्रम हो उसमें गौशाला के लिए अच्छा दलिया चार की गाड़ी यही भी बजाया जाएगा।

अजमेर-चंडीगढ़- अजमेर, वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलसेवा किशनगढ़ स्टेशन पर ठहराव

अगले आदेशों तक 02 मिनट का करेगी ठहराव

जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु अजमेर-चंडीगढ़- अजमेर, वन्दे भारत एक्सप्रेस (सप्ताह मे 06 दिन) रेलसेवा का किशनगढ़ स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर अगले आदेशों तक 02 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 20977, अजमेर-चंडीगढ़, वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलसेवा दिनांक 01.12.24 से किशनगढ़ पर 06.40 बजे आगमन एवं 06.42 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 20978, चंडीगढ़- अजमेर, वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलसेवा दिनांक 30.11.24 से किशनगढ़ स्टेशन पर 23.17 बजे आगमन एवं 23.19 बजे प्रस्थान करेगी।

अदाणी फाउंडेशन ने आयोजित किया नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। बुधवार को अदाणी फाउंडेशन, कवाई द्वारा जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग, बारां के मार्गदर्शन में नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। उक्त आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुंजेड में किया गया। शिविर का शुभारंभ अदाणी फाउंडेशन राजस्थान हेड, गोपाल सिंह देवड़ा, सरपंच प्रतिनिधि एवं पूर्व सरपंच प्रशान्त पाटनी तथा विद्यालय प्रचार्य भजनलाल मीना द्वारा किया गया। शिविर आयोजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां, ग्राम पंचायत कुंजेड एवं विद्यालय परिवार का विशेष योगदान रहा।

अदाणी पॉवर प्लांट हेड श्री प्रमोद सक्सेना ने बताया कि अदाणी फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों को गांव में नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। साथ ही, प्रतिवर्ष विशेषज्ञ स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन भी किया जाता है। अदाणी फाउंडेशन राजस्थान हेड गोपाल सिंह देवड़ा ने बताया कि शिविर में कुंजेड एवं आसपास के 5-7 से अधिक गाँव के लोगों को लाभान्वित किया गया है, जहाँ उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होकर जाँच एवं दवाइयाँ प्राप्त हुईं। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश मालव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अलमास खान, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. एस के माथुर, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. विष्णु नागर, आँख, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत जांगिड़ द्वारा सेवाएँ प्रदान की गईं। अदाणी फाउंडेशन के (स्वास्थ्य) परियोजना अधिकारी दीपक मालवीय ने बताया कि शिविर सुबह 10:00 बजे से 3:30 तक आयोजित किया गया, जिसमें 449 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही, लगभग 114 रोगियों की आवश्यक जाँचें, जैसे- ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टायफाइड, एएनसी, ब्लड ग्रुप आदि कर नि:शुल्क दवाइयाँ दी गईं। शिविर के दौरान पूर्व सरपंच एवं समाजसेवी प्रशांत पाटनी ने उपस्थित रहकर सभी ग्राम वासियों एवं आसपास के गाँव के लोगों को शिविर में आकर लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। साथ ही, ग्राम पंचायत कुंजेड में शिविर आयोजित करने हेतु अदाणी फाउंडेशन का धन्यवाद् किया गया। कार्यक्रम के दौरान अदाणी फाउंडेशन के विवेक शर्मा, वसीम, खुशवंत पालीवाल, मनीष नंदवाना, रामचरण चौधरी, कुंजेड सीएचसी स्टाफ, आशा सहयोगिनी, एएनएम व विद्यालय स्टाफ आदि ने शिविर में आवश्यक सहयोग प्रदान की।

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) अभियोग के अनुसार गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी पर रिश्वत के कोई आरोप नहीं

गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन्हें विदेशी भ्रष्टाचार आचरण से जुड़े आरोपों से बाहर रखा।

अमेरिकी डीओजे के अभियोग में सिर्फ एज्युर और सीडीपीक्यू के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दावा किया है कि अदाणी अधिकारियों पर रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सभी खबरें गलत हैं

नई दिल्ली, 28 नवम्बर (वेब वार्ता)। गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और वरिष्ठ अधिकारी विनीत जैन पर अमेरिकी डीओजे द्वारा कोई रिश्वतखोरी का आरोप नहीं है। यह जानकारी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने स्टॉक एक्सचेंज में जमा की गई ताजा रिपोर्ट में दी है। एजीईएल ने आगे कहा, गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के आरोपपत्र या अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के सिविल कंप्लेंट में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। किसी कानूनी अभियोग में काउंट का मतलब अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से होता है। डीओजे के अभियोग में पांच काउंट (आरोप) हैं, लेकिन काउंट एक-"एफसीपीए का उल्लंघन करने की साजिश" में गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन का नाम नहीं है और इन्हें इस काउंट से बाहर रखा गया है। इसी तरह, काउंट पांच- "न्याय में रुकावट डालने की साजिश" (पेज 41) में भी इन तीनों का नाम नहीं है। अभियोग का काउंट एक, जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों से संबंधित है, में केवल एज्युर पावर और सीडीपीक्यू (क्यूबेक का एक कनाडाई संस्थागत निवेशक और एज्युर का सबसे बड़ा शेयरधारक) के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल का नाम है। इस काउंट में किसी भी अदाणी अधिकारी का नाम अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने नहीं लिया है। हालांकि, डीओजे के अभियोग को लेकर विभिन्न मीडिया (विदेशी और भारतीय) की गलत समझ, अदाणी के डायरेक्टर्स पर अमेरिकी डीओजे और एसईसी द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के बारे में गलत और लापरवाह रिपोर्टिंग का कारण बना है। अदाणी अधिकारियों पर केवल काउंट 2- कथित सिक्योरिटीज धोखाधड़ी साजिश, काउंट 3- कथित वायर धोखाधड़ी साजिश, और काउंट- कथित सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

अदाणी के खिलाफ किसी प्रमाण का जिक्र नहीं

डीओजे के अभियोग में यह कोई प्रमाण नहीं है कि अदाणी अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अभियोग और शिकायत केवल इस बात पर आधारित हैं कि रिश्वत देने का वादा किया गया था या उस पर चर्चा की गई थी। यह सब केवल अनुमान और एज्युर पावर और सीडीपीक्यू के पूर्व कर्मचारियों की सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है, जिससे अमेरिकी डीओजे और यूएस एसईसी द्वारा अदाणी के खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनी और नैतिक रूप से बहुत कमजोर बनती है। अमेरिका की बिना आधार वाली कार्रवाई और लापरवाह गलत रिपोर्टिंग के कारण भारतीय समूह को अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का रद्द होना, वित्तीय बाजार पर असर और रणनीतिक साझेदारों, निवेशकों और जनता द्वारा अचानक जांच-पड़ताल जैसे बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं।

महंगाई बढ़ रही, सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में लगी है: कांग्रेस

नई दिल्ली, 28 नवंबर (वेब वार्ता)। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जनता की भलाई के लिए काम करने के बजाय केवल प्रचार और आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, आंकड़ों को कम दिखाने पर है।

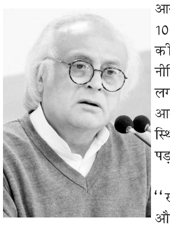

रमेश ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि केवल महंगाई के आंकड़ों को कम दिखाने पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को इस तरह से पेश करने की कोशिश जा रही है कि महंगाई नियंत्रित दिखे, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ी है, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "खाद्य पदार्थों, ईंधन, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से दाल, तेल, सब्जी और दूध जैसे आवश्यक खाद्य उत्पादों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जो परिवारों के बजट पर भारी बोझ डाल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल-डीजल महंगा रहा, जिससे परिवहन और अन्य सेवाओं की लागत बढ़ी। आज महंगाई में वृद्धि का एक बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें हैं।" रमेश ने दावा किया कि इस सरकार की प्राथमिकता महंगाई कम करने की बजाय केवल आंकड़ों को कम करने की है। उन्होंने कहा, "याद रखें, यह पहली बार नहीं हो रहा है। मोदी सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी करके देश को गुमराह करने की बार-बार कोशिश की है।" रमेश ने दावा किया कि जब भाजपा सरकार जीडीपी वृद्धि दर में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार से पिछड़ने लगी, तब आधार वर्ष बदलकर विकास दर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास किया गया। उनका कहना था, "ऐसा करके देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति छिपाई गई।" रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता की भलाई के लिए काम करने के बजाय केवल प्रचार और आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा, "जनता को राहत देने के बजाय योजनाओं के प्रचार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।"

ओला इलेक्ट्रिक पर फॉरेन ब्रोकरेज कंपनियां बुलिश: सिटी ने मार्केट स्ट्रेंथ को हाइलाइट किया

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.)। सिटी, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी और **BoFA** सिक्योरिटीज सहित ग्लोबल ब्रोकरेज ने भारत के ईवी सेक्टर में ओला की लीडरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का हवाला देते हुए पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखा है।

सिटी के ऑब्जर्वेशन: सिटी ने अपनी नई रिपोर्ट में, टू-व्हीलर ईवी स्पेस (**FY25 YTD)** में ओला की 38% बाजार हिस्सेदारी को हाइलाइट करते हुए, 90 के प्राइस टारगेट के साथ बाय रेटिंग दी है। मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के अपकमिंग लॉन्च को ब्रोकरेज मेजर ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देखता है। हालांकि सर्विस क्वालिटी की चुनौतियां बनी हुई हैं। सिटी का मानना है कि सप्लाई चेन में सुधार समय के साथ इन मुद्दों का समाधान करेगा। इससे इंडस्ट्री कंसॉलिडेशन के बीच कंपनी की स्थिति मजबूत होगी।

ब्रॉडर ब्रोकरेज सेंटीमेंट

गोल्डमैन सैच (टारगेट: 137): ओला के मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल और सर्विस नेटवर्क गैप्स को एड्रेस करने पर फोकस करता है।

एचएसबीसी (टारगेट 110): प्रोडक्ट लॉन्च और बैटरी एडवांसमेंट में ग्रोथ देखता है, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क को चिह्नित करता है।

BoFA (टारगेट 120): सर्विस स्केलेबिलिटी चुनौतियों पर ध्यान देते हुए ओला की मार्केट लीडरशिप और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स को हाइलाइट किया।

प्रोडक्ट इनोवेशन: ओला पावरपॉड

ओला का हाल ही में लॉन्च किया गया पावरपॉड, जिसकी कीमत 9,999 है, घरेलू बिजली की जरूरतों के लिए इन्वर्टर के रूप में काम करके अपने बैटरी इनोवेशन को शोकेस करता है। 1.5**kWh** कैपेसिटी वाला यह प्रोडक्ट तीन घंटे तक एसेंशियल डिवाइसेज को सपोर्ट करता है। सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट में इस डिवाइस को टारगेट किया गया है।

अब जिला कलेक्टर आदेश अनुसार जो भी पहले आंगनबाड़ी केंद्र किराया पर चल रहे थे वह अब सरकारी भवन में चलेगा

चौमूं, 28 नवम्बर (राजेंद्र सैनी)। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार बताया गया कि जो भी आंगनवाड़ी आज तक किराया में चल रहे थे वह अब सरकारी भवनों में चलाया जाएगा जिससे अब आंगनबाड़ी केंद्र के किराया नहीं लगेगा । गोविंदगढ़ के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर यह आदेश जारी कर दिया गया है। अब कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोविंद गढ़ के जो भी आंगन बाड़ी केंद्र किराए पर चल रहे हैं उन्हें सरकारी भवनों में चलाने हेतु मुहिम चलाई गई है इसी के अंतर्गत धोबलाई पंचायत के सरपंच रमेश शर्मा के प्रयास से गोविंद गढ़ पंचायत समिति के स्याऊ सी आगंन बाड़ी केंद्र को राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र पास में उपलब्ध राजकीय भवन में संचालित करवाया गया है।

CSL Finance Limited

रजि. कार्यालय: 410-412,18/12, चौथी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,
कॉर्प कार्यालय: 716-717, 7वीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सेक्टर-16 , नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश,
फोन: +91 120 4290650/52/53/54/55, ईमेल: info@cslfinance.in, Legal@cslfinance.in. वेब: www.cslfinance.in

अचल संपत्ति के लिए कब्ज़ा नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का अधिकृत अधिकारी है और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर मांगी गई राशि चुकाने में विफल रहे हैं, तदनुसार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने यहां वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिया गया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर(ओं) और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति के साथ लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पहले शुल्क के अधीन होगा। कंपनी को नीचे उल्लेखित राशि के लिए भविष्य में ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग नोटिस दिनांक और राशि (रुपये में)	भौतिक कब्ज़ा की तिथि
ऋण संख्या **SMEJAI**010003181 उधारकर्ता - **श्री प्रभु दयाल जाट** सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता- श्रावणी देवी सह-उधारकर्ता-चित्तर मल जाट, सभी में: इसरावाला, चोंप, तहसील-आमेर, जयपुर, राजस्थान-303805	**संपत्ति का विवरण:** अचल संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल आवासीय है ज़मीन का हिस्सा क्षेत्रफल माप 277. 66 वर्ग गज अर्थात 232.16 वर्ग मीटर, खसरा से बाहर नंबर 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 ग्राम ईशरवाला, पटवार हल्का चोंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है	**23.09.2024 एवं रुपये 20,03,832** (बीस लाख तीन हज़ार आठ सौ बत्तीस रुपये मात्र) 20.09.2024 तक साथ ही भविष्य का ब्याज, दंडात्मक ब्याज, लागत और शुल्क	27.11.2024

भूमि के उक्त भूखंड में 100% अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकार/शेयरों के साथ, सभी अधिकार, सुख-सुविधाएं, विशेषाधिकार, उपकरण, जो कुछ भी उससे संबंधित है या उसका आनंद लिया गया है या उसके अनुलग्नक, फिक्स्चर, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल और सेनेटरी फिटिंग और आवश्यक सुविधाओं के साथ संपत्ति के दस्तावेज़ों के अनुसार चार सीमाएँ:- पूर्व- आम रास्ता 15 फीट चौड़ा पश्चिम- कल्याण जी का रास्ता और भूमि उत्तर- डोनर की भूमि दक्षिण- 15 फीट चौड़ा रास्ता संपत्ति के वास्तविक स्थल के अनुसार चार सीमाएं: -पूर्व- 15' सड़क पश्चिम- स्वयं का रास्ता और श्री का घर कल्याण उत्तर- अन्य भूमि दक्षिण- 15'रोड

दिनांक: 29.11.2024 स्थान: जयपुर (राजस्थान) **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड,**

मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह मामले पर सिब्बल ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां ले जा रहे

नई दिल्ली, 28 नवंबर (वेब वार्ता)। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े दीवानी मुकदमे में अजमेर की अदालत के नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को इस घटनाक्रम को 'चिंताजनक' बताया और सवाल किया कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को कहां ले जाया जा रहा है।

वादी के वकील ने कहा कि अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया था कि एक दीवानी मुकदमे में तीन पक्षों को नोटिस जारी किया जाए। वाद में दावा किया गया है कि दरगाह में एक शिव मंदिर है। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'चिंताजनक। नया दावा- अजमेर दरगाह में शिव मंदिर। हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? और क्यों? राजनीतिक लाभ के लिए ?' अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने अजमेर में पत्रकारों को बताया कि मुकदमे की सुनवाई दीवानी न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई। सिरोजा ने कहा कि दरगाह में एक शिव मंदिर होने का दावा करते हुए सितंबर में मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें वहां फिर से पूजा शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा, "हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाये और दरगाह का किसी प्रकार का पंजीकरण है तो उसको रद्द किया जाए। उसका सर्वेक्षण एएसआई के माध्यम से किया जाए और वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए।"

मानव तस्करी के खिलाफ एनआईए की 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, 28 नवंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को छह राज्यों में 22 स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई अन्य स्थानों पर आज सुबह-सुबह शुरू हुई और स्थानीय पुलिस बलों के साथ समन्वय करके तलाशी अभियान चलाए गए।

अधिकारियों के अनुसार तलाशी में संगठित तस्करी नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। एनआईए ने विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर ऑपरेशन शुरू किये। यह अभियान एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह की जांच का हिस्सा है, जिसमें विदेशी संलिप्तता होने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर फर्जी कॉल सेंटरों में ले जाया गया, जहां उन्हें साइबर धोखाधड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। एनआईए को इस रैकेट में म्यांमार और लाओस से जुड़े होने का संदेह है। इससे पहले 5 अक्टूबर को एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों और फंडिंग के सिलसिले में पांच राज्यों में इसी तरह की छापेमारी की थी। इन अभियानों में महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली के स्थानों को निशाना बनाया गया और ये आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन : - 011-23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
गुड़गांव शाखा: एससीओ नंबर 391, सेक्टर - 29, अर्बन एस्टेट, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुड़गांव-122001। **भिवाड़ी शाखा:** ए-10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निर्दशित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निर्दशित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करनेकी अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/GUR/1116/330916, बी.ओ.: गुड़गांव, परवीन कुमार/शालिनी शर्मा	**08.04.2021 तक रु. 1495815.23**	**भौतिक कब्जा**	सी3-301,3, टावर सी, डिलाइट एंड स्टेटस रेजीडेंसी, खसरा नंबर-205, 206, 207, 208, 209, 679/210, गांव-टपुकारा, तिजारा भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, भारत-301019	**रु. 1260000**	**रु. 126000**	**19.12.2024**	**रु. 10,000**	**10.12.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे**	**20.12.2024 अप.. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Unknown**
HOU/BHI/0318/506785, बी.ओ.: भिवाड़ी सुधीर कुमार चौहान/रुचि	**12.07.2021 तक रु. 1830095.05**	**भौतिक कब्जा**	टावर-सी-812, ओमेक्स यूरोपिया, गांव खजूरीबास, तहसील तिजारा, जिला। अलवर, ओमेक्स ग्रीन मीडो सिटी, अलवर, राजस्थान-301001, भारत। माप 924 वर्ग. फुट.	**रु. 1147000**	**रु. 114700**	**19.12.2024**	**रु. 10,000**	**10.12.2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे**	**20.12.2024 अप.. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Unknown**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दीपक शाह, संपर्क नंबर 1800 120 8800** या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 29-11-2024 प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08